



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 25]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 2012/माघ 4, 1933

No. 25]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2012/MAGHA 4, 1933

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2012

**सा.का.नि. 40(अ).—सरसों और तोसी बीज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2011** के प्रारूप को, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 574 (अ), तारीख 28 जुलाई, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन के भीतर, आक्षेप और सुझाव मागे गए थे।

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 3 अगस्त, 2011 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तोसी और सरसों बीज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1964 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

## नियम

### 1. संक्षिप्त नाम और लागू होना :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरसो बीज और तोरी बीज (तेल बीज) श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2012 है।

(2) ये निम्नलिखित को लागू होंगे,-

(क) फैमिली ब्रासीकासिया के ब्रासीका जुन्सिया (एल.), ब्रासीका निग्रा (एल.) और ब्रासीका कैरीनाटा ए ब्रौन पादप से प्राप्त किए गए सरसो बीज।

(ख) फैमिली ब्रासीकासिया के ब्रासीका रापा एल. (सीन बी कामपेस्ट्रीस एल) और ब्रासीका नापस एल. पादप से प्राप्त किए गए तोरी बीज।

(3) ये राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

### 2 परिभाषाएं :-

(क) “कृषि विपणन सलाहकार” से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है ;

(ख) “प्राधिकृत पैकर” से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार सरसो बीज और तोरी बीज के श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने का प्राधिकार प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है ;

(ग) “प्राधिकरण प्रमाण पत्र” से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिह्न से सरसो बीज और तोरी बीज का श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने का प्राधिकार देता है ;

(घ) “साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम” से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है ;

(ङ) “श्रेणी अभिधान चिह्न” से नियम 5 में निर्देशित “एगमार्क अधिकार चिह्न” अभिप्रेत है ;

(च) “अनुसूची” से इन नियमों से सलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. श्रेणी अभिधान :- श्रेणी अभिधान, सरसो बीज और तोरी बीज की क्वालिटी को दर्शित करते हैं जो अनुसूची 2 के श्रेणी अभिधान के लिए मानदंड के स्तंभ (1) में वर्णित किए गए अनुसार होगी।

4. गुणवत्ता:- इन नियमों के प्रयाजन के लिए, सरसो बीज और तोरी बीज की क्वालिटी अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

5. श्रेणी अभिधान चिह्न :- श्रेणी अभिधान चिह्न में प्राधिकार प्रमाणपत्र की संख्याक “एगमार्क” शब्द, वस्तु का नाम, और अनुसूची 1 में यथा उपवर्णित के सदृश्य श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करने वाले “एगमार्क अधिकार चिह्न” से मिलकर बना एगमार्क प्रतीक होगा।

**6. पैकिंग की पद्धति.-**

- (1) सरसो बीज और तोरी बीज को जूट थैलो या नया या अनमेडेड बी-ट्रिबल थैलो या पोलिवोवन थैलो, कपड़े के थैलों में इनर लाइनिंग सहित या पोली पाउचों, उच्च घनत्व पोली इथाइलीन (एचडीपीई) लेमिनेटिड पेपर थैलो या किसी ऐसी श्रेणी पैकिंग सामग्री में पैक किया जाएगा जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित की जाए ।
- (2) पैकिंग सामग्री, साफ, सुदृढ़, कीट या फफूंद संदूषण से मुक्त होगी और किसी विषैले पदार्थ या अवांछनीय गंध या सुवास से भी मुक्त होगी ।
- (3) सरसो बीज और तोरी बीज, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार विधिक मापविद्या (पैक की गई वस्तु) नियम, 2011 में यथा अनुज्ञात पैक साइजों में पैक होंगे ।
- (4) समान लाट या बैच के छोटे पैक आकारों की श्रेणीकृत सामग्री और श्रेणी को श्रेणी अभिधान चिह्न के साथ उसके पूरे ब्यौरो सहित मास्टर आधान में पैक किया जा सकेगा ।
- (5) प्रत्येक पैक में समान प्रकार और समान श्रेणी अभिधान के सरसो बीज और तोरी बीज होंगे ।
- (6) प्रत्येक पैक उचित रूप से और सुरक्षित रूप में बंद किए जाएंगे जिससे उसके बिखराव को रोका जा सके ।

**7. चिह्नांकन की पद्धति --**

(1) श्रेणी अभिधान चिह्न, कृषि विपणन सलाहकार या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति में प्रत्येक पैकिंग में सुरक्षित रूप से लगाया जाएगा या मुद्रित होगा ।

(2) प्रत्येक पैकेज पर श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त, निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्ट और सुपाठ्य रूप में चिह्नांकित होगी, अर्थात्:-

- (क) वस्तु का नाम ;
- (ख) श्रेणी ;
- (ग) किस्म या वाणिज्यिक नाम ; (वैकल्पिक)
- (घ) पैकिंग की तारीख ;
- (ङ) पैकिंग का स्थान ;
- (च) लाट या बैच संख्याक ;
- (छ) फसली वर्ष ; (वैकल्पिक)
- (ज) शुद्ध भार ,
- (झ) पैकर का नाम और पता ;
- (ञ) अधिकतम खुदरा कीमत (सभी करों सहित) ;
- (ट) . मास .. वर्ष तक उत्कृष्ट ;
- (ठ) कोई अन्य विशिष्टियां जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

- (3) पैकेजों पर चिह्नांकन के लिए प्रयुक्त स्याही, ऐसी क्वालिटी की होगी जो सरसो बीज और तोरी बीज को संदूषित न करे ।

- (4) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना निजी व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड का उपयोग कर सकेगा परंतु वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न क्वालिटी उपदर्शित न करता हो ।

### 8 प्राधिकार प्रमाणपत्र के लिए विशेष शर्तें :-

प्रत्येक प्राधिकृत पैकर, साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा, अर्थात्

(i) प्राधिकृत पैकर, सरसों बीज और तोरी बीज की क्वालिटी का परीक्षण करने के लिए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 9 के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित अर्हित रसायनज्ञ द्वारा प्रबध की जा रही अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी/संगम प्रयोगशाला या निजी वाणिज्यिक प्रयोगशाला में पहुंच रखेगा ;

(ii) परिसरो को स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता की दशाओं के साथ उचित संवातन तथा अच्छी प्रकाश व्यवस्था में रखा जाएगा । इन संक्रियाओं में लगे हुए कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या सक्रामक रोग से मुक्त होंगे ;

(iii) परिसरो में पक्के फर्श वाली पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी और वे कृन्तक और कीटों के उत्पीड़न-से मुक्त होंगे ;

(iv) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ, परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलबंद और अभिलेखों के अनुक्षण सबधी कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी सभी अनुदेशों का अनुपालन करेगा ।

अनुसूची - 1

(नियम 5 देखिए)

(एगमार्क अधिकार चिह्न का डिजाइन)



वस्तु का नाम.....  
श्रेणी.....

## अनुसूची 2

(नियम 3 और 4 देखिए)

## सरसों और तोरी बीज [तेल बीज] की श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता

1. (क) सरसो बीज, ब्रासीकासिया परिवार के ब्रासीका जुन्सिया (एल), ब्रासीका निग्रा (एल) और ब्रासीका कैरीनाटा ए. ब्रौन पादप से अभिप्राप्त किया जाएगा।

(ख) तोरी बीज, ब्रासीकासिया परिवार के ब्रासीका रापा एल (सीन बी कामपेस्ट्रीस एल) और ब्रासीका नापस एल. पादप से अभिप्राप्त किया जाएगा।

## 2. न्यूनतम अपेक्षाएं :-

## (i) सरसो और तोरी बीज :-

(क) पके हुए, स्वच्छ और सूखे बीज होंगे ;

(ख) स्वस्थ होंगे ;

(ग) आकार, रूप, रंग और संरचना में समान होंगे ;

(घ) जीवित और मृत कीट, कीट विखंडन और कुटकी से मुक्त होंगे,

(ङ) फफूंदी उत्पीडन और भुकड़ी से मुक्त होंगे

(च) मिलाए गए रजक पदार्थ और विषाक्त सामग्री से मुक्त होंगे ;

(छ) कृंदत बाल और मलमूत्र से मुक्त होंगे;

(ज) आर्गिमोन मैक्सीकाना (लिन) बीजों से मुक्त होंगे ;

(झ) विकृतगंधी और फफूंदीदार अवस्था से मुक्त होंगे ,

(ञ) जब बीजों का पेषण किया या भिगोया जाए तब बीजों की गंध और सुवास ताजी और तीक्ष्ण होगी।

(ट) विषैले बीजों, जिसके अंतर्गत धतुरा, अकरा और कार्न काकेल हैं, से मुक्त होंगे।

(ii) यह धातु पदार्थ, कीटनाशियों और नाशकजीवमारो, फसल सद्दूषको, प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले विषैले पदार्थों के अपशिष्ट स्तर के संबंध में निर्बंधन और खाद्य सुरक्षा और मानदंड (सद्दूषक, जीव-विष और अपशिष्ट) विनियम, 2011 तथा खाद्य सुरक्षा और मानदंड (खाद्य उत्पाद मानदंड और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के अधीन यथाविहित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(iii) यह भारी धातुओं, कीटनाशियों की अपशिष्ट सीमाओं और निर्यात के लिए कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग द्वारा अधिकथित अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों या निर्यातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

## सारणी

## 3. श्रेणी अभिधान के लिए मानदंड निम्न प्रकार होंगे :

श्रेणी अभिधान	विजातीय पदार्थ		क्षतिग्रस्त और विवर्णित हुए बीजों का प्रतिशत भार द्वारा (अधिकतम)	मृत अपरिपक्व बीजों का प्रतिशत भार द्वारा (अधिकतम)	अन्य खाद्य बीजों का प्रतिशत भार द्वारा (अधिकतम)	नमी का प्रतिशत भार द्वारा (अधिकतम)	तेल पदार्थ प्रतिशत भार द्वारा शुष्क आधार पर (न्यूनतम)	
	कार्बनिक प्रतिशत भार द्वारा (अधिकतम)	अकार्बनिक प्रतिशत भार द्वारा (अधिकतम)					सरसो बीज	तोरी बीज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
विशेष	0.10	0.10	0.50	0.50	0.10	6.0	42.0	45.0
मानक	0.50	0.20	0.80	0.80	0.15	7.0	38.0	42.0
साधारण	0.75	0.25	1.00	1.00	0.20	7.5	36.0	36.0

## 4 अन्य अपेक्षाएँ:-

(i) सरसो और तोरी बीज की दशा ऐसी होगी जिससे वे निम्नलिखित के लिए समर्थ हो सकें:-

(क) परिवहन और ह्यालन को सहन करने के लिए और

(ख) गतव्य स्थान पर सतोषप्रद दशा में पहुँचने के लिए ।

(ii) सरसो और तोरी बीज स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद दशा में उचित ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडार किया जाएगा ।

स्यूटीकरण - इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,

(क) “विजातीय पदार्थ” से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(i) कार्बनिक पदार्थ में शुष्क, भूसा, अपतृण बीज और अन्य अखाद्य अनाज सम्मिलित हैं ।

(ii) अकार्बनिक पदार्थ में रेत, बजरी, धूल, रोड़े, ककड़, मिट्टी के ढेले, चिकनी मिट्टी और कीचड़ सम्मिलित हैं ।

(ख) “क्षतिग्रस्त और विवर्ण बीज” से वे बीज अभिप्रेत हैं जो आंतरिक रूप से क्षतिग्रस्त या विवर्ण हैं, क्षति और विवर्णन क्वालिटि को प्रभावित करने वाला है ।

(ग) “अपरिपक्व और मुरझाए हुए बीज” से वे बीज अभिप्रेत हैं जो उचित रूप से विकसित नहीं हैं ।

(घ) “मृत बीज” वे बीज हैं जो निष्फल हैं और जिसे हाथों से आसानी से पीसा जा सकता है ।

(ङ) “अन्य खाद्य बीज” से वे खाद्य बीज (तेल बीज सहित) अभिप्रेत हैं जो विचाराधीन से भिन्न हैं ।

[फा. स. 18011/1/2011-एम-II]

राजेन्द्र कुमार तिवारी, सयुक्त सचिव (विपणन)

**MINISTRY OF AGRICULTURE**  
**(Department of Agriculture and Co-operation)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2012

**G.S.R. 40(E).**—Whereas the draft of Mustard and Rapeseeds Grading and Marking Rules, 2011, was published as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G S R 574(E) dated the 28<sup>th</sup> July, 2011 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty five days from the date on which copies of the said notification published in the Gazette of India were made available to the public,

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 3<sup>rd</sup> August, 2011,

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), and in supersession of the Rape and Mustard seeds Grading and Marking Rules, 1964, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely -

Rules ८०१२१

1 Short title, application and commencement -

(1) These rules may be called Mustard Seeds and Rape Seeds (oil seed) Grading and Marking Rules, 2012

(2) They shall apply to -

- (a) mustard seeds obtained from plant *Brassica juncea* (L.), *Brassica nigra* (L.), and *Brassica carinata* A. Braun of the family *Brassicaceae*
- (b) rapeseeds obtained from the plant *Brassica rapa* L (syn *B campestris* L) and *Brassica napus* L of the family *Brassicaceae*

(3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette

2 Definitions - In these rule, unless the context otherwise requires, -

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India,

(b) "authorized packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark mustard seeds and rape seeds in accordance with the grade standards and procedure specified in these rules,

(c) "Certificate of Authorization" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark mustard seeds and rape seeds with the grade designation mark,

(d) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937).

(e) "Grade designation mark" means the "Agmark Insignia" referred to in rule 5,

(f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules

3. Grade designations - The grade designations to indicate the quality of mustard seeds and rape seeds shall be as set out in column I of Criteria for Grade Designation of Schedule II

4. Quality - For the purpose of these rules, the quality of mustard seeds and rape seeds shall be as specified in Schedule II

5. Grade designation mark - The grade designation mark shall be "AGMARK insignia" consisting of a design incorporating the certificate of authorisation number, the word "AGMARK", name of commodity and grade designation resembling the design as set out in Schedule- I.

6. Method of packing - (1) Mustard seeds and rape seeds shall be packed in jute bags or new or un-mended B-Twill bags or polywoven bags or cloth bags with inner lining or poly pouches, High Density Poly Ethylene (HDPE) laminated paper bags, or any other packing material as approved by the Agricultural Marketing Adviser

(2) The packing material shall be clean, sound, free from insect and fungal infestation and should not impart any toxic substance or undesirable odour or flavour to the product

(3) Mustard seeds and rape seeds shall be packed in pack sizes as permitted in the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 or as per the instructions issued by Agricultural Marketing Adviser from time to time

(4) Graded material of small pack sizes of the same lot or batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with grade designation mark

(5) Each package shall contain mustard seeds or rape seeds of the same type and of the same grade designation

(6) Each package shall be properly and securely closed so as to disallow spilling.

7. Method of Marking - (1) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988

(2) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package, namely:-

(a) name of the Commodity,

(b) grade,



- (c) variety or trade name; (optional)
- (d) date of packing;
- (e) place of packing,
- (f) lot or batch number;
- (g) crop year (optional)
- (h) net weight,
- (i) name and address of the packer,
- (j) maximum retail price (inclusive of all taxes),
- (k) BEST BEFORE \_\_\_\_\_ MONTH \_\_\_\_\_ YEAR,
- (l) any other particulars as may be specified by the Agricultural Marketing Adviser

(3) The ink used for marking on packages shall be of such quality which shall not contaminate the mustard seeds and rape seeds

(4) The authorised packer, may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages which do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules

8 Special conditions of certificate of authorisation - In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, every authorised packer shall comply with the following conditions, namely -

(i) the authorised packer shall either set up his own laboratory or have access to an approved State Grading Laboratory or cooperative/association laboratory or a Private Commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules, 1988 for testing the quality of Mustard and Rape Seeds,

(ii) the premises shall be maintained in hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement. The personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases,

(iii) the premises shall have adequate storage facilities with pucca floor and free from rodent and insect infestation,

(iv) the authorised packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer authorised by him in this behalf from time to time

## SCHEDULE-I

(See rule 5)  
(Design of Agmark insignia)



Name of the Commodity . . . . .

Grade... . . . .

SCHEDULE -II  
(see rule 3 and 4)

**GRADE DESIGNATION AND QUALITY OF MUSTARD AND RAPE SEED**  
**(OIL SEED)**

1 (a). Mustard seeds shall be obtained from plant *Brassica juncea* (L.), *Brassica nigra* (L.), and *Brassica cannata* A. Braun of the family *Brassicaceae*.

(b) Rapeseeds shall be obtained from the plant *Brassica rapa* L (syn *B campestris* L.) and *Brassica napus* L of the family *Brassicaceae*

2. Minimum Requirements

(i) Mustard and Rapeseeds shall be -

- (a) mature, clean and dried seeds,
- (b) wholesome;
- (c) uniform in size, shape, colour, texture;
- (d) free from living and dead insects, insect fragments and mites;
- (e) free from fungus infestation and moulds,
- (f) free from added colouring matter and toxic material,
- (g) free from rodent hairs and excreta,
- (h) free from the seeds of *Argemone maxicana* (Linn.);
- (i) free from rancidity and mustiness;
- (j) The odour and flavour of the seeds when grinded and moistened shall be fresh and pungent
- (k) free from toxic seeds including Dhatura, Akra and Corn cockle.

(ii) It shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additives) Regulations, 2011

(iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides, and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports

Table  
3 The criteria for Grade designation shall be as follows

Designation	Extraneous matter		Damaged and discoloured seeds percent by mass (max)	Dead and immature seeds, percent by mass (max)	Other Edible seeds, Percent by mass (max)	Moisture, percent by mass (max)	Oil content, percent by mass on dry basis (Min)	
	Organic, percent by mass (max.)	Inorganic, percent by mass (max)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
							Mustard seed	Rapeseed
Special	0.10	0.10	0.50	0.50	0.10	6.0	42.0	45.0
Standard	0.50	0.20	0.80	0.80	0.15	7.0	38.0	42.0
General	0.75	0.25	1.00	1.00	0.20	7.5	36.0	36.0

4 Other requirements -

- (i) The condition of the Mustard and Rape Seeds shall be as to enable it,-
  - (a) to withstand transport and handling, and
  - (b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination,
- (ii) mustard and rape Seeds shall be stored in appropriate cool and dry place maintained in a clean and hygienic condition

**Explanation - For the purposes of this Schedule,-**

- (a) "Extraneous matter" means,-
  - (i) organic matter consists of husk, straws, weed seeds and other inedible grains
  - (ii) inorganic matter consists of sand, gravel, dirt, pebbles, stones, lumps of earth, clay and mud,
- (b) "Damaged and discoloured seeds" means seeds that are internally damaged or dis-coloured, damage and discoloration materially effecting the quality;
- (c) "Immature and shriveled seeds" means seeds that are not properly developed
- (d) "Dead seeds" are those seeds which are duds and can easily be crushed by hands
- (e) "Other edible seeds" means edible seeds (including oil seeds) other than the one which is under consideration

[F No 18011/1/2011-M II]

RAJENDRA KUMAR TIWARI, Jt Secy (Marketing)